न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1624–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2003 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–40/निगरानी/2002–03

.....

बीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय रामबहादुर सिंह
निवासी–ग्राम कचलेहा, तहसील नागौद,
जिला–सतना(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

आम जनता ग्राम रामगांव (पतवारा)
तहसील नागौद, जिला–सतना (म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री बिजेन्द्र सिंह धाकड़ , अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 27–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आम जनता ग्राम रामगांव तहसील नागौद की ओर से कलेक्टर सतना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि क्र0 103/3 रकबा 0.899 है0 के भूमिस्वामी आवेदक

बीरेन्द्र प्रताप सिंह है। रूढ़िगत सड़क के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यवाही में उक्त भूमि का अंश रकबा प्रभावित होता है। आवेदक द्वारा सड़क निर्माण में अवरोध किया गया है, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है । अतः उक्त भूमि में से सड़क निर्माण के लिये भूमि अर्जन का आदेश दिया जावे। जिस पर कलेक्टर सतना ने तहसीलदार नागौद एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया गया । प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तहार जारी कर हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश पारित करना पाया । कलेक्टर सतना ने भू0राजस्व संहिता 1959 की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुये ग्राम रामगांव सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत कर भू–अर्जन का आदेश पारित किया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहां आयुक्त ने दिनांक 27.10.2003 से निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की है । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि क्र0 103/3 रकबा 0.899 है0 के भूमिस्वामी आवेदक बीरेन्द्र प्रताप सिंह है। रूढ़िगत सड़क के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यवाही में उक्त भूमि का अंश रकबा प्रभावित होता है। आवेदक द्वारा सड़क निर्माण में अवरोध किया गया है, जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है। सभी ग्रामवासियों ने रास्ते की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में है। केवल आवेदक को इस रास्ते पर आपत्ति है । आवेदक की यह आपत्ति है कि उक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं है और इसी कारण ग्राम रामगांव (पतवारा), तहसील नागौद की ओर से कलेक्टर आम जनता कलेक्टर

सतना के समक्ष रूढ़िगत सड़क के निर्माण हेतु भू–अर्जन का आदेश पारित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सतना ने तहसीलदार नागौद एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया, जिसमें पाया कि भू–अर्जन की कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार जारी कर की गई है। कलेक्टर सतना ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुये भू–अर्जन किये जाने का आदेश दिया है । संहिता के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर ने उचित आदेश दिया है जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार रास्ते के लिये भूमिस्वामी से भू–अर्जन हेतु ली जाने वाली भूमि का विधिवत मुआवजा दिये जाने के आदेश दिये गये है । इसी कारण आयुक्त ने आवेदक की निगरानी को अस्वीकार किया है और कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थिति को देखते हुये आयुक्त का आदेश 05.02.2007 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,